an>

Title: Need to amend laws of Archaelogical Survey of India.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में एक बहत ही सेन्सेटिव मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, मैं एक मिनट इसमें फालतू लूँगा और उसके लिए माफी चाहूँगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया का जो लॉ है, उस लॉ के अनुसार दिल्ली के अन्दर जगह-जगह आर्कियोलॉजिकल की दीवारे हैं। जिसके कारण सड़क आगे नहीं बढ़ पाती है। तुगलकाबाद एम.बी.रोड़ के अन्दर आप जाएंगे तो वहाँ पीडब्ल्यूडी की 100 फीट की सड़क है। आर्कियोलॉजिकल की दो दीवारें जो मकबरे, किले को जोड़ती हैं, उसको चौड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका लॉ यह है कि जब तक आर्कियोलॉजिकल परमीशन नहीं देगा तब तक वह दीवार नहीं तोड़ी जा सकती और ऑर्कियोलॉजिकल के लॉ में परमीशन लेने की जरूरत है। महरौली बाजार जो पुराना कदमी बाजार रहा है, अंग्रेजों के जमाने में वहाँ पुलिस स्टेशन होता था, तहसील होती थी। वहाँ पर पॉपुलेशन एक लाख हो गई, लेकिन रास्ता वही पुराना है। अब वहाँ आर्कियोलॉजिकल में कुतुब की एक दीवार आती है, वह दीवार आराम से 50 फीट पीछे हट सकती है। वह दीवार हट जाए। मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि जनता के हित के लिए कानून होते हैं न कि जनता को परेशान करने के लिए कानून का उपयोग हो। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया के मंत्री हैं, वे इसका संज्ञान लें, इस कानून में बदलाव लाएं, उन दीवारों को पीछे हटाने की परमीशन दें, जिससे सड़कें चौड़ी हो सकें और लोगों को आने-जाने में दिक्कतें न हो। हारी-बीमारी के कारण कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जाम लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति :

श्री कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री भैरो प्रसाद मिश्र और

श्री शरद त्रिपाठी को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।